भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3316

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के विरूद्ध शिकायतें

3316 डा. वी. शिवादासनः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरूद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार तथा आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) जाँच किए गए मामलों की संख्या कितनी है और इन मामलों की जाँच किसके द्वारा की गई ; और

(ग) अब तक दोषसिद्धि वाले मामलों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतर न्यायपालिका में ''आंतरिक तंत्र'' के माध्यम से जवाबदेही बनायी रखी जाती है । भारत के उच्चतम न्यायालय ने, अपनी 7 मई, 1997 की पूर्ण न्यायालय बैठक में दो संकल्प अंगीकृत किए थे, अर्थात् (i) ''न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन:प्रवर्तन'' जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अनुपालन और संप्रेक्षण किए जाने वाले सिद्धांतों और कतिपय न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है; (ii) ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध उचित उपचारी उपाय लेने के लिए ''आंतरिक प्रक्रिया'' जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत न्यायिक जीवन के मूल्यों का अनुपालन नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन:प्रवर्तन भी सम्मिलित है ।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित "आंतरिक तंत्र" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के आचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । उसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । ऐसी प्राप्त हुई शिकायतें/अभ्यावेदन, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैं ।

विगत पांच वर्षों में, केवल एक मामले में न्याय विभाग ने, भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से, 2021 में किसी सेवानिवृत उच्च न्यायालय न्यायाधीश के विरुद्ध सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 19 और दंड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी दी थी ।

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) में 1631 शिकायतें (01.01.2017 से 31.12.2021 तक) न्यायपालिका के कार्य संबंधी प्राप्त हुई हैं, जिसके अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त हुए न्यायिक भ्रष्टाचार भी हैं और ये स्थापित "आंतरिक तंत्र" के अनुसार, क्रमश: उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों/भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित की गई हैं ।

****